पत्रांक–01/स्था० (GST)–01/17 4464 न०वि०एवं.आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

महत्वपूर्ण
ई–मेल/फैक्स

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद, भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको)।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।
नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।
मुख्य अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण (मुख्यालय)।
कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण।

पटना, दिनांक–05.7.17

विषयः– **बिहार माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–01.07.17 से बिहार माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 लागू है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग एवं इसके अन्तर्गत सभी नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यालयों को उक्त अधिनियम के तहत GST Portal पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का निबंधन कराया जाना है। तदोपरांत उक्त अधिनियम के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जाना निर्धारित है।

GST Portal पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का निबंधन दिनांक–25.06.17 से प्रारम्भ है। इस अधिनियम के तहत सभी कार्यालय प्रधान, जो किसी भी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान करते है, को निबंधन प्राप्त करने, ससमय विवरणी दाखिल करने एवं कटौती की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। निबंधन के लिए कार्यालय का TAN एवं कार्यालय प्रधान का Digital Signature आवश्यक है। Digital Signature न होने की स्थिति में Electronic Verification Certificate (EVC) के माध्यम से निबंधन संभव है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वैधानिक आवश्यकता के आलोक में संबंधित कार्यालय प्रधान ससमय निबंधन करते हुए विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

सुलभ प्रसंग हेतु वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त अर्द्ध सरकारी पत्रांक–94/CCT दिनांक–27.06.17 संलग्न है।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

3/7/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

Sujata Chaturvedi, IAS
Commissioner Cum Principal Secretary
Department of Commercial Taxes
Bihar, Patna

सुजाता चतुर्वेदी, भा.प्र.से.
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
वाणिज्य-कर-विभाग
बिहार, पटना

सत्यमेव जयते

Department of Commercial Taxes
Vikash Bhawan, Bailey Road
Patna - 800 015
Tel. : 0612-2214741
Fax : 0612-2219995
E-mail : cct@bihar.gov.in

वाणिज्य-कर-विभाग
विकास भवन, बेली रोड
पटना - 800 015
दूरभाष : 0612-2214741
फैक्स : 0612-2219995
ई-मेल : cct@bihar.gov.in

संख्या : 94/CCT

दिनांक : 27/6/17

प्रिय चैतन्य,

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन सभी विभागों/कार्यालयों को निबंधित किये जाने के संबंध में पत्र संख्या–2059 दिनांक–21.06.2017 का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे। इस पत्र में निबंधन के संबंध में विस्तृत विवरण का उल्लेख किया गया है। GST Portal पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का निबंधन दिनांक 25.06.17 से प्रारंभ हो चुका है। उक्त अधिनियम के तहत सभी कार्यालय प्रधान, जो किसी भी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के विरूद्ध भुगतान करते है, को निबंधन प्राप्त करने, ससमय विवरणी दाखिल करने एवं कटौती की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। निबंधन के लिये कार्यालय का TAN एवं कार्यालय प्रधान का Digital Signature आवश्यक है। अगर किसी कार्यालय प्रधान के पास Digital Signature उपलब्ध नहीं हो तो Electronic Verification Certificate (EVC) के माध्यम से भी निबंधन हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है। EVC के तहत आधार संख्या देने पर उससे जुड़े मोबाईल नम्बर पर एक OTP आता है एवं उसे submit करने पर आवेदन जमा हो जाता है। यह एक सुलभ प्रक्रिया है।

2. आप अवगत हैं कि राज्य सरकार में बड़ी संख्या में निकासी व्ययन पदाधिकारी मौजूद हैं, अतः निबंधन प्रक्रिया का अनुश्रवण करना आवश्यक है।

3. इस क्रम में अनुरोध है कि अपने विभाग के मुख्यालय के किन्ही पदाधिकारी को इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करते हुये इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही, अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची, दूरभाष एवं ई–मेल आई.डी. सहित उपलब्ध करायी जाय, ताकि वाणिज्य–कर विभाग के संबंधित अंचलों द्वारा भी निबंधन हेतु इनसे सम्पर्क एवं सहयोग किया जा सके।

4. इस कार्य हेतु वाणिज्य–कर विभाग में एक कोषांग बनया गया है, जिसमें निम्न पदाधिकारी नामित हैं–

(i) डॉ. रविरंजन सहाय, संयुक्त आयुक्त, मोबाईल नम्बर–8544412282, ई–मेल आई.डी. – ***rrsahay11@gmail.com***

(ii) श्री विश्वकांत तिवारी, उपायुक्त, मोबाईल नम्बर–8409991119, ई–मेल आई.डी. – ***tiwaryvk@gmail.com***

(iii) मोहम्मद शाहिक, उपायुक्त, मोबाईल नम्बर–7903068603, 9386215974 ई–मेल आई.डी. – ***m.shahique@yahoo.com***

निबंधन की प्रक्रिया में किसी भी जानकारी अथवा सहयोग के लिये इनसे सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग के सभी अंचलों में सहायता केन्द्र अधिष्ठापित किया गया है, जिससे सहयोग लेने का निर्देश अपने विभागीय पदाधिकारियों को दिया जा सकता है।

5. अनुरोध है कि वैधानिक आवश्यकता के आलोक में अपने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अविलम्ब निबंधन लेने हेतु आवश्यक निर्देश अपने स्तर से देने की कृपा की जाय।

भवदीय
26/6/17
(सुजाता चतुर्वेदी)

श्री चैतन्य प्रसाद, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना